

19.5.17

आज पणवली केस कोर्ट अज्ञात  
 अज्ञात न्याय आपके द्वार-2017 अज्ञात  
 सेवा केन्द्र गुप्त पंचायत वेलेनियापर  
 पेश हुई। व्यक्ति ने उक्त इस प्रकार  
 है कि गुप्त पंचायत वेलेनिया पंचायत  
 उनियास ने रेसोडिन्ट 00। 1। 1। 6 के पक्ष  
 ने आगरीपार 29000 390/479 रकबा  
 0.77, 29000 391 रकबा 0.85, 29000 390  
 रकबा 1.21 कुल किल 3 कुल रकबा  
 2.83 है। वही गुप्त गोविन्दपुरा का नामानुकरण  
 संख्या 78 दिनांक 3-11-01 के द्वारा स्वीकार  
 कर लिया है। उक्त तथित आगरीपार  
 अपीलान्ट व रेसोडिन्ट के पुर्वत रामकुमार  
 के स्वतन्त्र एवम् कल्पे काश्त की  
 आगरीपार थी। अंततः की मूल्य होने  
 पर कोर्टी का नामानुकरण इसकी एक  
 मात्र पत्नी समझारी बेवा अंततः के  
 नाम गुप्त बालीबल की आगरीपार में  
 भरा जाकर स्वीकार किया गया। जबकि  
 गुप्त गोविन्दपुरा में उक्त नामानुकरण  
 संख्या 78 में अंततः के पारीमान में  
 शुभा बेवा अंततः व रेसोडिन्ट का  
 नाम गलत रूप से डाल कर दिया गया।  
 उक्त नामानुकरण अर्थव्यक्तिक व वास्तविकता  
 के सर्वथा उल्लंघन होने के कारण  
 निरस्त किए जाने योग्य है।

उत्तरवासीगण व क्षत्रीगण अतुल पणवली  
 में उपलब्ध इतिवृत्तों का अवलोकन  
 किया गया। गुप्त पंचायत वेलेनिया द्वारा  
 नामानुकरण संख्या 78 दिनांक 3-11-01 द्वारा  
 स्वीकार किया गया है।

उक्त विवेचना अनुसार परिणामस्वरूप  
 वासीगण द्वारा उक्त अपील स्वीकार  
 की जाकर अधीनस्थ न्यायालय



गुप्त पंचायत खेसिनिया द्वारा पारित निर्णय  
क्रमांक 3-11-01 को अपास्त किए जाते हैं। उपर्युक्त  
तहसीलदार उनियास को इस निर्णय के बावजूद  
अतिरिक्त किया जाता है कि पक्षकार को सुनकर  
विधि सम्मति निर्णय पारित करें।  
तहसीलदार उनियास को पासना देहू सिविल जे.पी.  
परावली केसस्य शुमार दोकर जम्बर से नाम तो  
परावली डफ्टर डरिबल किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी  
उनियारा